प0सं0–वि0व0संग्रह/(19–20)/ 81 /वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक :: 12 अप्रैल, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय : एम0पी0आर0– 1, 2 एवं 3 के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित किये जा रहे बकाया वसूली के ऑकड़ों व व्यास पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे बकाया वसूली के ऑकड़ों को शुद्ध व एकरूप किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या 1339 दिनांक 22.03.2019 व तद्विषयक पूर्व में प्रेषित अन्य पत्रों/मीटिंग मिनट्स का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके द्वारा बार–बार बकाया के ऑकड़ों को शुद्ध किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त सम्बन्ध में माह मार्च, 2019 के एम0पी0आर0–1 (आच्छादित बकाया) के अनुसार अभी भी बकाया धनराशि दिनांक 01.04.2019 को रू0 17789 करोड़ सूचित की गयी है, जबकि पोर्टल पर दि0 01.04.2019 को रू0 24065 करोड़ बकाया धनराशि प्रदर्शित हो रही है अर्थात अन्तर लगभग यथावत बना हुआ है। यह स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है।

इसी प्रकार दि0 01.03.2019 से 31.03.2019 के मध्य केवल रू0 309 करोड धनराशि के पुराने वसूली प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर फीड किया गया है जिसमें से रू0 294 करोड़ केवल कानपुर जोन प्रथम द्वारा फीड किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अन्य जोनों द्वारा निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

आच्छादित बकाया से सम्बन्धित ऑकड़ों को शुद्ध करने व पुराने वसूली प्रमाण पत्रों, जिनकी फीडिंग अभी तक पोर्टल पर नहीं हो पायी है, उनको पोर्टल पर फीडिंग हेतु दिनांक 31.05.2019 तक का समय प्रदान किया गया है, जिसकी दैनिक समीक्षा मुख्यालय द्वारा की जा रही है और उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनों बिन्दुओं पर प्रगति संतोषजनक नहीं है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पोर्टल व एम0पी0आर0 के ऑकड़ों में आ रही विसंगति/अन्तर को प्रत्येक दशा में उक्त निर्धारित समयावधि में शुद्ध कर लिया जाय, क्योंकि समय सीमा पुनः नहीं बढ़ायी जायेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि पोर्टल पर नियमानुसार ऑकड़ों के निस्तारण/कमी व व्यास पोर्टल पर फीडिंग में यदि कोई समस्या आती है तो तत्काल समस्या का विस्तृत उल्लेख करते हुए आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय की ई मेल आई0डी0– ctithqlu-up@nic.in पर मेल के माध्यम से सूचित किया जाय तथा उसकी प्रतिलिपि संग्रह अनुभाग मुख्यालय की ई मेल आई0डी0– ctcollhqlu-up@nic.in पर भी की जाय। हार्ड कापी के माध्यम से इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्रेषित न किया जाय। निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।